रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एक अधिसूचित फायरिंग रैंज है और सेना वर्ष 1956 से इसका उपयोग कर रही है । सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये संघट्ट क्षेत्र, कैम्पिंग ग्राउंड आदि के लिये कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की गई गई थी । स्थानीय जनता ने मांग की थी कि आदिवासी जनता और पारिस्थितिकी के हितों को देखते हुये परियोजना को रद्द कर दिया जाये ।

स्थानीय जनता के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुये बिहार सरकार के साथ बातचीत करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस पायलट परियोजना पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है ।

Crash of army helicopter

345. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether an army helicopter crashed sometime in September, 1994 killing a Major General and some other officers;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the findings of the court of inquiry which inquired into the crash; and

(d) what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A Cheetah helicopter piloted by Major JP Singh and Maior BK Deka was on an operational reconnaisance sortie in East Sikkim on 21 September 1994 with Major General KH Palande, AVSM General Officer Commanding 27 Infantry Division and Lt Col MP Singh GSO 1 (Ops) on board. The helicopter crashed at 0933 hours soon after its being airborne at approximately 0930 hours. A court of inquiry has been ordered on 22 September 1994. The terms of reference of the court of inquiry, require it to investigate the circumstances of the accident and determine its cause and also to recommend remedial measures to prevent recurrence of similar accidents. Report of the court of inquiry has yet to be received.

कच्छ में तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की रोकथाम हेतु कोस्ट गार्ड

346. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभा पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, देश की सुरक्षा हेतु कच्छ की विशाल मरूभूमि और समुद्र-तटीय सीमा पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों एवं तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिये जखो खाड़ी पर कोस्ट गार्डों की तैनाती के संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिये कोई जमीन अभिगृहीत की है तथा कब तक कोस्ट गार्ड की योजना पूरी होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तटरक्षक, गुजरात राज्य में स्थित जाखो खाड़ी में एक स्टेशन स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है ।

(ख) सरकार इस उद्देश्य के लिये भूमि तथा भवनों का अधिग्रहण करने के वास्ते राज्य सरकार से संपर्क बनाये हुये हैं ।